न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 23 / 2018

पूरनसिह उम्र 68 वर्ष पुत्र नवल सिह जाति फौजदार निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–अंगूरी उम्र 85 वर्ष पत्नी स्व0 दौजी
2–राजनसिह उम्र 57वर्ष ।
3–निनुआ उम्र 49 वर्ष । –पुत्रगण स्व0 दौजी
4–विक्रम उम्र38 वर्ष ।
5– प्रेमा उम्र 54 वर्ष । पुत्रीयान स्व. दौजी जाति फौजदार निवासी
6–हीरो उम्र 45 वर्ष ।
7–सुगनी उम्र 80 वर्ष पत्नी स्व. चिम्मन बीलौठ तहसील नदबई
8–मानसिह उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व चिम्मन
9–सुनीता उम्र 47साल पत्नी स्व. रघुनाथ, जिला भरतपुर
10–वासुदेव उम्र 22 वर्ष पुत्र स्व. रधुनाथ
11–महेश उम्र 18 साल पुत्र स्व.रघुनाथ
12–सोनम उम्र 24 साल पुत्री स्व. चिम्मन
13–केशव उम्र 45 साल पुत्र स्व रघुनाथ
14–भूरीसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व. रघुनाथ
15–तारा उम्र 52 साल पुत्री स्व. चिम्मन,
16–सुखवीरी उम्र 32 साल पुत्री स्व. चिम्मन,
17–राज. सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम वमुकदमा विरुद्व सहायक कलेक्टर नदबई

————————

निर्णय दिनांक 28.6.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक कलेक्टर नदबई की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में पक्षकारान के मध्य दावा विचाराधीन है। प्रकरण जबाब दावा जबाब प्रार्थना पत्र टी.आई. में लगा हुआ था। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा जबाब दावा एवं जबाब प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया जिसकी नकल प्रार्थी ने दिनांक 5.3. 18 को ही प्राप्त करली गई। पीठासीन अधिकारी ने आगमी तारीख 27.3.2018 नियत की गई। बाद में अप्रार्थी. के कहने से पूर्व नियत दिनांक को बदल कर दिनांक 12.3.18 प्रार्थी की गैर मोजूदगी में कर दी गई है। एक बार तारीख पेशी नियत किये जाने के बाद अप्रार्थी के कहने पर तारीख पेशी बदलना नियमों के विरुद्व है। पीठासीन अधिकारी के इस कृत्य से प्रार्थी को शंका हो गई है कि पीठासीन अधिकारी से उसे न्याय नहीं मिलेगा। अप्रार्थीगण ने गांव में भी अपने हक में दावा निर्णय होने की चर्चा कर दी गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. की तलबी की गई। सहायक कलक्टर नदबई से टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलेक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि दावा सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें दोनों पक्ष उप. हैं। पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 5.3. 2018 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.3.18 दी गई थी, बाद में अप्रार्थी. के कहने पर दी गई तारीखी पेशी 27.3.18 के स्थान पर बदल कर दिनांक 12.3.18 नियत कर दी गई। पीठासीन अधिकारी का यह कृत्य न्याय के विपरीत है। योग्य अभिभाषक का तर्क है इस कृत्य से प्रकरण में पीठासीन अधिकारी का रुख अप्रार्थी. के प्रति स्पष्ट आता है। अप्रार्थी. द्वारा भी गांव में सोहरत कर दी है कि प्रकरण उसके हक में होगा। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई ।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाये गये हैं। उनका कहना है कि दावा सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन जिसमें प्रार्थी ने अपने हक में इकतरफा में स्टे लिया हुआ है। प्रार्थी स्टे प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं करने की नियत से प्रकरण को लम्बा करने के लिये यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी अभिभाषक की उपस्थित में तारीख पेशी नियत की गई है, तारीख पेशी बदलने का आरोप गलत है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित मोखिक कथनों के सिवाय अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो। सहायक कलक्टर .नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ.नदबई ने अंकित किया है कि प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में मनगढन्त झूठे आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश ले रखा है जिसे बेवजह से लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश किया गया है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा स्थगन पत्रावली को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलेक्टर नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official